सी॰ बी॰-दो सं॰ 372

लोक सभा

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(नये भाग नौ का अन्तःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ना)

संयुक्त समिति का प्रारूप प्रतिवेदन

(14 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 1992/आषाढ़, 1914 (शक)

मूल्य: रु॰ 15.75

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	संयुक्त समिति का गठन	(iii)-(iv)
2.	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)—(viii)
3.	असहमति संबंधी कार्यवाही सारांश	(ix)—(xi)
4.	विधेयक जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया	1—7
	परिशिष्ट एक: विधेयक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव	8—9
	परिशिष्ट दो: राज्य सभा में प्रस्ताव.	10
	परिशिष्ट तीन: संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए	11—12
	परिशिष्ट चार: साक्षियों की सूची, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया	13
	परिशिष्ट पांच: संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश	14-42

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग नौ का अन्तःस्थापन तथा ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) संबंधी संयुक्त समिति

समिति का गठन

श्री नाथूराम मिर्धा — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री लालजन एस॰ एम॰ बाशा
4. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
5. श्री दिग्विजय सिंह
6. श्री भोगेन्द्र झा
7. श्री डी॰ डी॰ खनोरिया
8. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
9. श्री नीतीश कुमार
10. श्री रामेश्वर पाटीदार
11. श्रीमती सूर्यकांता पाटिल
12. श्री आर॰ रामास्वामी
13. डा॰ सुधीर राय
14. डा॰ साक्षीजी महाराज स्वामी
15. श्री पी॰ एम॰ सईद
16. श्री रामपाल सिंह
17. श्री सत्यदेव सिंह
18. श्री शिवशरण सिन्हा
19. श्री के॰ पी॰ थामस
20. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

राज्य सभा

21. श्री रफीक आलम
22. श्री दीपेन घोष
23. श्री हेच॰ हनुमनथप्पा
24. श्रीमती कैलाश पति
25. श्री एस॰ माधवन
26. श्री कामेश्वर पासवन
27. श्री छोटू भाई पटेल
28. श्री शंकर दयाल सिंह
29. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

*30. रिक्त

---

* श्री प्रभाकर राव कलकत्ता 2.4.1992 से राज्य सभा से अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद समिति के सदस्य नहीं रहे तथा स्थान नहीं भरा गया।

सचिवालय

1. श्री जी॰ एल॰ बत्रा	—	अपर सचिव
2. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता	—	संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ के॰ चटर्जी	—	उप सचिव
4. श्री डी॰ एल॰ कपूर	—	सहायक निदेशक

विधायी सलाहकार

1. श्री बी॰ एस॰ सलुजा	—	संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी	—	उपविधायी सलाहकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ आर॰ शंकरन	—	सचिव
2. श्री एस॰ सोम	—	अपर सचिव
3. श्री डी॰ सिंघाई	—	उप सचिव

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस समिति का सभापति, जिसे भारत के सिंविधान में अर्थात-संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग नौ के अन्तःस्थापित तथा ग्याहरवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में आगे और संशोधन करने के लिए भेजा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर उसका यह प्रतिवेदन रतुत करता हूं।

2. विधेयक को लोक सभा में 16 सितम्बर, 1991 को पुरःस्थापति किया गया था। विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव लोक सभा में श्री जी० वेंकटस्वामी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट-एक)।

3. राज्य सभा ने उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति 21 दिसम्बर. 1991 को दी थी (परिशिष्ट-दो)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश लोक सभा समाचार भाग दो में 24 दिसम्बर, 1991 को प्रकाशित हुआ।

5. समिति की कुल 13 बैठकें हुई।

6. समिति की पहली बैठक 22 जनवरी, 1992 को हुई थी। इस बैठक में समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया तथा राज्य सरकारों, प्रशासनों, सरकारी निकायों, संगठनों तथा व्यक्तियों आदि से जो विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखते हों, से अपने विचारार्थ विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के बारे में ज्ञापन मांगने का निर्णय लिया।

समिति ने आगे यह निर्णय लिया कि इस विषय के संबंध में विस्तृत प्रश्न सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की जाए, जो इन संगठनों, निकायों, व्यक्तियों आदि को भेजी जाए ताकि वे समिति को अपना ज्ञापन भेज सकें।

तदनुसार, ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य के लिए अनुरोध मंगाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति 22 जनवरी, 1992 को जारी की गई थी। आकाशवाणी के महानिदेशक तथा दूरदर्शन, नई दिल्ली के महानिदेशक को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से प्रेस विज्ञप्ति की विपय वस्तु को लगातार तीन दिन तक अंग्रेजी तथा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का अनुरोध किया।

7. समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव सहित ज्ञापन आमंत्रित करने संबंधी एक परिपत्र सभी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों तथा व्यक्तियों, जिनके नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे, को भी जारी किया गया।

8. समिति को विधेयक के प्रावधानों संबंधी टिप्पणी/सुझाव संबंधी 38 ज्ञापन विभित्र संगठनों/व्यक्तियों, आदि से प्राप्त हुए (परिशिष्ट-तीन)।

9. समिति ने 19 तथा 20 फरवरी, 1992 को हैदराबाद का दौरा किया तथा (एक) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार तथा (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

10. 16 तथा 17 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में समिति ने 6 स्थानीय संगठनों/व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लिया जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था। समिति ने 30 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली से बाहर के 3 संगठनों/व्यक्तियों का भी साक्ष्य लिया। उन व्यक्तियों के नामों की सूची जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था, परिशिष्ट-चार में दी गई है।

11. समिति का प्रतिवेदन सदन में बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाना था। समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो बार समय बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई थी। पहली बार 26 फरवरी, 1992 को 30 अप्रैल, 1992 तक तथा दूसरी बार 30 अप्रैल, 1992 को वर्षाकालीन सत्र, 1992 के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक।

12. समिति ने 11 और 12 मई तथा 9 जून से 11 जून, 1992 तक हुई अपनी बैठकों में विधेयक के उपबंधों पर सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार सामान्य चर्चा की।

13. समिति ने 29 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक नें विधेयक पर खंडवार विचार किया।

14. समिति ने 30 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और (दो) रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद समिति द्वारा प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो प्रतियां संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु संसदीय ग्रंथालय में रखी जानी चाहिए।

15. समिति ने अपनी 30 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड दो के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित हुआ।

16. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियों को उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

17. **अनुच्छेद 243**—समिति महसूस करती है कि "ग्राम सभा" शब्द की परिभाषा जैसी कि अनुच्छेद 243क(2) में शामिल की गई है। अनुच्छेद 243 में भी शामिल की जानी चाहिए, चूंकी अन्य सभी शब्दों की परिभाषा अनुच्छेद 243 में दी गई है। तदनुसार "ग्राम सभा" की परिभाषा से संबंधित।

एक नया खंड (ख) अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है तथा वर्तमान खंड (ख) से (च) को उस अनुच्छेद के खंड (ग) से (घ) के रूप में पुनरांकित किया गया है।

18. **अनुच्छेद 243क**—समिति महसूस करती है कि ग्राम सभा किसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती तथा अधिक से अधिक यह कुछ कार्य कर सकती है। इन कार्यों के ब्यौरे राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

तदनुसार अनुच्छेद 243क में संशोधन किया गया है। इस अनुच्छेद का खंड (2) छोड़ दिया गया है क्योंकि "ग्राम सभा" की परिभाषा अनुच्छेद 243 में शामिल कर दी गई है।

19. **अनुच्छेद 243ख**—समिति ने पाया कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान पंचायतों की श्रेणियों की संख्या में अत्यधिक असमानता है। समिति नोट करती है कि अधिकतर राज्यों में तीन श्रेणी प्रणाली है। यहां तक कि जहां तक तीन श्रेणी प्रणाली है वहां कर्नाटक, तमिलनाडु तथा असम जैसे राज्यों में आधारभूत अंतर हैं। तथापि, हरियाणा, मणिपुर, केरल तथा सिक्किम तथा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में दो श्रेणी प्रणाली ही अपनाई गई है। फिर भी गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा नागर व हवेली जैसे कुछ संघ शासित प्रदेश हैं, जो केवल एक श्रेणी प्रणाली का अनुपालन करते हैं। समिति का विचार है कि पूरे देश में पंचायतों की सामान्य तथा एक रूप तीन श्रेणी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।

तदनुसार अनुच्छेद 243ख में संशोधन किया गया है।

20. **अनुच्छेद 243ग**—समिति नोट करती है कि पंचायती राज संस्थानों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुनावों से संबंधित मामला बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष रीति से चुने गए लोगों में जनता द्वारा चुने जाने की अन्तर्निहित शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष चुनावों से चालबाजी अथवा खोखेबाजी जैसे व्यवहारों को समर्थन मिलता है। अतः समिति का विचार है कि निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायत में किसी भी स्तर पर सभी पद प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा भरे जाने चाहिए। समिति इस बात से भी सहमत है कि जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यह राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह पंचायतों में अगले उच्च स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान बनाए अर्थात् ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकता है तथा मध्यस्थी स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष जिला स्तर पर प्रनिनिधित्व कर सकता है।

समिति का यह भी विचार है कि राज्य का विधानमंडल राज्य सभा के सदस्यों के तथा राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में जहां वे मध्यस्थी स्तर पर पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में, मध्यस्थी स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में तथा ऐसी पंचायत में जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, के संबंध में भी आवश्यक उपबंध बनाए।

अनुच्छेद 243ग के खंड (2) तथा (4) में तदनुसार संशोधन किया गया है तथा खंड (3) छोड़ दिया गया है क्योंकि पंचायत में सभी स्थान प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरे जाएंगे।

विधेयक में यह प्रावधान है कि केवल अध्यक्ष तथा पंचायत के प्रत्यक्ष रीति से चुने गए सदस्यों को ही मत देने का अधिकार है। समिति का विचार है कि पंचायत के सभी सदस्यों को इस तथ्य से परे कि, वे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हैं अथवा नहीं, पंचायतों के सुचारू कार्यकरण के लिए पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होना चाहिए।

तदनुसार अनुच्छेद 243ग के खंड (5) तथा (6) के उपबंधों को जोड़ा गया है तथा संशोधित खंड (4) में शामिल किया गया है।

समिति आगे यह महसूस करती है कि ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाना चाहिए तथा मध्यस्थी स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाना चाहिए। जहां ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है उसे उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि ग्राम सभा इस संबंध में पंचायत के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस संबंध में सिफारिश न करे तथा उपस्थित दो-तिहाई सदस्यों से कम सदस्यों द्वारा मतदान न किया गया हो तथा ग्राम सभा ने इस संबंध में विशेष रूप से आयोजित की गई बैठक में कम से कम 15 दिन के नोटिस के बाद इसके उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा बहुमत से इस संबंध में संकल्प पारित न किया हो। अतः 50 प्रतिशत सदस्यों से कम सदस्य ऐसी बैठकों में उपस्थित नहीं हों।

यदि गणपूर्ति पूरी न होने के कारण बैठक नहीं हो सकती तो पंचायत का प्रस्ताव कालातीत हो जाएगा और अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए पिछले प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की तिथि के एक वर्ष के भीतर कोई भी अन्य प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इसी प्रकार, जहां पंचायत के अध्यक्ष का चयन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है उसे उस पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक

कि पंचायत अपने कुल मनोनीत सदस्यों के बहुमत और उन उपस्थित और मतदान में भाग लेन वाले सदस्यों के दो तिहाई से ज्यादा बहुमत द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित न कर दे।

अनुच्छेद 243(ग) के खंड (7) में तदनुसार संशोधन करके उसे धारा (5) के रूप में पुनरांकित किया गया है। उपरोक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने हेतु नए खंड (6) और (7) को भी अंतःस्थापित किया गया है।

21. **अनुच्छेद 243(घ)**—समिति को बताया गया कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें या तो ऐसे उम्मीदवारों के अभाव में अथवा किन्हीं अन्य कारणों से अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी जाती हैं। अतः इस अनुच्छेद के खंड (1) में यह स्पष्ट करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें अलग-अलग आरक्षित की जाएंगी।

22. **अनुच्छेद 243(ङ)**—समिति ने पाया कि पंचायती राज संस्थानों में स्थायित्व और विश्वास को बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। तथापि, यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि पंचायतों के कार्यकाल को किसी भी स्तर पर अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा उन्हें भंग भी किया जा सकता है और कतिपय मामलों में इन संस्थानों के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं, समिति सिफारिश करती है कि इन निकायों का चुनाव पांच वर्ष का इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यदि पंचायत को इसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो नई पंचायत के गठन के लिए ये चुनाव संबंधी कार्य पंचायत के भंग किए जाने की तिथि से छः महीने की अवधि के होने से पूर्व अवश्य कराए जाने चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि किसी भी राज्य विधान में उन पंचायतों को भंग करने हेतु कोई संशोधन प्रभावी नहीं होना चाहिए जो ऐसे संशोधनों से तत्काल पहले उनका पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कार्य कर रही हैं। विद्यमान खंड(2) में तदनुसार संशोधन करके उसे खंड (3) के रूप में पुनरांकित किया गया है और एक नया खंड (2) इस अनुच्छेद में अंतःस्थापित किया गया है। खंड(1) में कतिपय अनुवर्ती संशोधन भी किए गए हैं।

23. **अनुच्छेद 243(च)**—समिति नोट करती है कि अवांछित व्यक्तियों को पंचायतों का सदस्य बनने से रोकने के उद्देश्य से विधेयक में अयोग्यता संबंधी कतिपय प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की अनर्हरता संबंधी प्रावधानों पर आधारित हैं।

समिति महसूस करती है कि विद्यमान खंड (1) का उप खंड (क) से (घ) उप खंड (ङ) के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। समिति की यह भी राय है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के आगमन एवं सामान्य शिक्षा के स्तर में उन्नति के कारण छोटे शहरों और नगरों की जनता के बीच अधिक जागृति आ गई है। अब इक्कीस वर्ष की आयु का व्यक्ति सार्वजनिक पद पर जिम्मेवारी से कार्य कर सकता है। अतः समिति की यह राय है कि इक्कीस वर्ष के सभी व्यक्ति पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में खड़े होने के पात्र होने चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि अनर्हरता संबंधी विवादों को राज्यपाल के निर्णय हेतु भेजने की बजाय उन्हें निर्णय हेतु ऐसे प्राधिकरण के पास भेजना चाहिए जैसा कि राज्य विधान मंडल के कानूनों में प्रावधान हो।

उप-खंड (क) से (घ) का लोप कर दिया गया है और अनुच्छेद 243(च) के खंड (1) के उपखंड (ङ) और उसके खंड-दो में तदनुसार/संशोधन किया गया है।

24. **अनुच्छेद 243 (झ)**—अनुच्छेद 243 (झ) के खंड (1) में किया गया संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

25. **अनुच्छेद 243(ञ)**—समिति नोट करती है कि जहां तक चुनाव करवाने का संबंध है पंचायती राज संस्थानों के चुनाव राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की देखरेख, निर्देश और नियंत्रण के अधीन कराए जाने होते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पदाधिकारी और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। समिति महसूस करती है कि यह बात राज्य की विधानसभा पर छोड़ दी जानी चाहिए कि वह उक्त चुनाव कराने हेतु एक अलग प्राधिकरण की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद 243ढ में तदनुसार संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 243(ठ)—समिति महसूस करती है कि भाग—नौ के प्रावधानों को किसी भी संघशासित क्षेत्र पर लागू न करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का लोप किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पास केवल उक्त प्रावधानों को किसी भी संघशासित क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर लागू करने की शक्ति उन अपवादों अथवा संशोधनों के अध्यधीन होनी चाहिए जिसे वह सरकारी अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा। अनुच्छेद 243(ठ) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

26. **अनुच्छेद 243(ढ)**—समिति महसूस करती है कि पंचायतों संबंधी सभी विद्यमान विधियां जिन्हें इस विधेयक द्वारा अंतःस्थापित किया जाना है और जो प्रस्तावित भाग नौ के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि उनमें सक्षम विधान मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन नहीं कर दिया जाता अथवा उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता अथवा इस विधान के लागू होने की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो। समिति नोट करती है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए विद्यमान पंचायतों का कार्यकाल इससे प्रभावित नहीं होता।

अनुच्छेद 243ढ में तदनुसार संशोधन किया गया है।

27. खंड (1) और अधिनियमन सूत्र—खंड(1) और अधिनियमन सूत्र में किए गए संशोधन औपचारिक स्वरूप के हैं।

28. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को यथासंशोधित पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
30 जून, 1992

नाथूराम मिर्धा,
सभापति,
संयुक्त समिति

संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी असहमति टिप्पण
एक

यह नोट किया जाए कि संविधान की सूची दो (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 के अनुसार, राज्य सरकारें स्थानीय स्व-शासन से संबंधित मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 भी राज्यों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे ग्राम स्तर पर तथा मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर भी जैसा आवश्यक समझा जाए, पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएं तथा उन्हें इस प्रकार की शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करें जो कि उन्हें स्थानीय स्वशासन के एककों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। अतः हम यह महसूस करते हैं कि यह पूर्णतः राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वह इस संबंध में निर्णय दे या उक्त विषय के संबंध में विधान बनाए। हम यह भी महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रांतीय आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए स्थानीय विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तथा इस प्रकार विधान में एकरूपता लाना कठिन होगा। इसे ध्यान में रखते हुए संभवतः एक संवैधानिक संशोधन राजनैतिक इच्छा तथा भूमि सुधार के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जायेगा, ये वे दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन पर लोकतांत्रित विकेन्द्रीकरण का कोई भी उपयोगी प्रयास अवश्य ही निर्भर करना चाहिए। तथापि यदि इस विषय के संबंध में सर्वसम्मति संवैधानिक संशोधन का समर्थन करती है, तब केवल तीन लक्ष्य जिनमें इसे सीमित रहना चाहिए वे हैं (1) नियमित चुनाव सुनिश्चित करना, (2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, तथा (3) विषयों की अलग अनुसूची तैयार करके शक्तियों के अन्तरण के लिए संवैधानिक मंजूरी। राज्य विधानमंडल को उपयुक्तता सुविधा तथा प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सभी ब्यौरे निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में हमने संदर्भाधीन विधेयक के संशोधनों पर खंडवार विचार करते हुए सर्वसम्मति पर पहुंचने के ईमानदारीपूर्ण प्रयास किये हैं। सर्वसम्मति पर पहुंचने के अपने प्रयासों में कुछ मामलों में बहुमत से हमारा मतभेद होते हुए भी हम अधिकतर संशोधनों, जो अंतिम रूप से बनाए गए हैं, पर सहमत हो गए हैं। किन्तु हम निम्नलिखित खंडों का विरोध करने के लिए बाध्य हैं तथा उनके प्रतिस्थापन के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पण भी साथ में संलग्न किए जा रहे हैं।

1. **खंड 243 ग(5)(क)**—यह ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करता है।

हम किसी भी स्तर पर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि इसमें संयोगवश विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें हो सकता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना गया अध्यक्ष पंचायत निकाय के बहुमत सदस्यों के समर्थन का प्राप्त न कर सके। इसके अतिरिक्त पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को हटाए जाने का उपबंध जैसा कि खंड 243 ग(6) में प्रावधान किया गया है, कानून की जांच को बनाए न रख पाए, यदि ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है, जैसा कि केवल निर्वाचक मंडल को ही ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। अतएव हम यह प्रस्ता करते हैं कि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन इसके चुने हुए सदस्यों में से, इन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों के मामले में खंड 243 ग(5) (ख) में उपबंध किया गया है। तथापि, सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए, यदि वर्तमान खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं।

243 ग(5)(क)—ग्राम स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचन द्वारा इस प्रकार चुना जाएगा जैसा कि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उपबंध करे।

ग(खंड 243 ड(2)(ख)— इसके व्यादेश के अनुसार भाग नौ का उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग के जिले के पहाड़ी क्षेत्रों सहित जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनी है, पर लागू नहीं होगा।

हम इस उपबंध का विरोध करते हैं। हमारे विचार से दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम तथा मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें बनी रहनी चाहिए। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अधिनियम, 1988 की धारा 31 तथा 32, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों (अर्थात मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत) तथा ग्राम पंचायतों (ग्राम स्तर पर पंचायत) उनके कार्य के निरीक्षण सहित पर्यवेक्षण करने का अधिकार देती है। इससे स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ग्राम तथा मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतें गठित करने के लिए कोई रोक नहीं है। अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि खंड 243ड (2 ख) में "पश्चिम बंगाल राज्यत में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र, जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है" शब्दों का लोप किया जाए।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे हमारे असहमति टिप्पण के रूप में मानें तथा रिपोर्ट में इसे संलग्नक के रूप में शामिल करने के लिए कदम उठाएं।

नई दिल्ली; — **सुधीर राय**
दिनांक 30 जून, 1992 — **दीपेन घोष**

दो

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 में संयुक्त समिति द्वारा सुझाये गए परिवर्तनों से मोटेतौर पर मैं सहमत हूं। तथापि एक मुद्दे पर मैं अपने विचार पृथक रूप से अभिलिखित करना चाहता हूं जिसका संबंध पंचायत क्षेत्र में उठने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति ग्राम स्तर पर पंचायतों को सौंपने के बारे में संविधान के प्रावधान से है। मैं महसूस करता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक में ग्राम स्तर पर पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। चूंकि समिति कुछ अन्य सदस्य इससे इस आधार पर सहमत नहीं हुए कि यह इसका मूल विधेयक में उपबंध नहीं किया गया। अतः मैं अपने विचारों को पृथक रूप से अभिलिखित करने के लिए बाध्य हूं। ऐसा करने से पहले मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं।

2. पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक इस विचार से लाया गया है कि इन संस्थाओं, जो कि हमारे देश के प्रभावी शासन के लिए आवश्यक हैं, को यथावश्यक कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक दर्जा नहीं दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि देश में पंचायती राज संस्थाओं की कुछ मूल विशेषताओं के संबंध में प्रावधान संविधान में ही किया जाये ताकि उन पहलुओं को राज्यों में दिन प्रति दिन की राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के दायरे से बाहर रखा जा सके। मैं इसी बात से प्रेरित हुआ हूं और मुझे आशा है कि समिति के अन्य सदस्य भी इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान देंगे।

3. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने का एक साधन है ताकि वे हमारे राजतंत्र की सक्रिय लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। इस विधेयक में इन निकायों को प्रशासनिक और विकासात्मक शक्तियां प्रदान करने और उन्हें वित्तीय संसाधन प्राप्त कराने का माध्यम निश्चित करने का प्रावधान है। मेरे विचार से यह प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ग्राम स्तर पर पंचायतों को ग्रामों में उठने वाले विवादों को निपटाने की शक्ति प्रदान नहीं कर दी जाती। ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा विवादों को निपटाये जाने की परम्परा हमारी सामाजिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। पंचायत का उद्भव "पंच" शब्द से शुरू है अर्थात् गांव के पांच समझदार व्यक्ति जो आदि काल से गांवों में न्याय करते रहे हैं।

4. यह सर्वविदित है कि न्याय करने वाली संस्थागत प्रणाली से सबसे अधिक नुकसान गरीबों को होता है। न्यायलयों में मुकदमें दायर करने और वहां उनके निपटान की व्यापक व्यवस्था निर्धन ग्राम वासियों की पहुंच से बाहर और अप्राप्य की ऐसी स्थिति में उन्हें अन्याय और अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। इस स्थिति में तुरंत उपचारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। चूंकि देश में प्रभावी पंचायती राज संस्था का प्रभावी ढांचा तैयार करने का दायित्व हम पर है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस संबंध में सुधारात्मक कार्य करने का सुझाव दें।

5. यह विचार कोई नया नहीं है। विधि आयोग ने अपने 114 वें प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया था कि पंचायत न्यायालय छोटेमोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमें निपटा कर नियमित न्यायालयों का कार्यभार कम करके उपयोगी कार्य कर सकते हैं। आयोग ने अपनी सिफारिश में ऐसी पंचायतों के अन्य अधिकार क्षेत्र और उनके द्वारा विचारणीय मुकदमें भी निर्धारित किये थे। यह भी सिफारिश की थी कि ग्राम न्यायालय नामक ये संस्थाएं न्यायालय की प्रक्रियाओं अथवा साक्ष्य संबंधी कानून से बंधे नहीं होने चाहिये और जहां कहीं संभव हो उन्हें पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करना चाहिये।

6. राजगोपाल समिति ने 1964 में दिये अपने प्रतिवेदन में न्याय पंचायतों की स्थापना / उन्हें जारी रखे जाने का भी समर्थन किया था और उनके अधिकार क्षेत्र कार्य प्रणाली आदि के संबंध में व्यापक सिफारिशें भी की थी, उसने न्याय पंचायतों के लिए न्यायधीशों के चुनाव और महिलाओं और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सहयोजन की भी सिफारिश की थी।

7. मैंने विभिन्न राज्यों के पंचायती राज कानूनों का अध्ययन किया है और मैंने पाया है कि कई राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में न्याय पंचायतों अथवा ग्राम कचहरी अथवा इसी प्रकार की संस्थाओं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, की स्थापना के प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और पंजाब के पंचायत अधिनियम या केरल ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1960 जैसे विशेष अधिनियम में विवादों को निपटाने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतों में न्याय पंचायतो की स्थापना का प्रावधान है। कुछ राज्यों में समझौता बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अनेक राज्यों में ऐसी न्याय पंचायतें वास्तव में बन चुकी हैं और वे गांवों के छोटे मोटे विवादों का निपटान कर रही हैं। यह प्रशंसनीय है कि इन संस्थाओं के माध्यम से न्याय पाने के लिए इच्छुक जनता विशेषकर गरीबों को सेवा प्रदान की जा रही है और यह समिति के लिए एक अद्वितीय अवसर है कि वह इस पंचायती राज प्रणाली का अभिन्न अंग बनाये।

8. दुर्भाग्यवश मैं समिति के कुछ अन्य सदस्यों को न्याय पंचायतों को पंचायती राज प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए राजी नहीं कर सका हूं। मुझे इसकी भी आशंका है कि संविधान में न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान न होने से राष्ट्र को गलतफहमी दिशानिर्देश हो सकती है। वे राज्य जिन्होंने इन संस्थाओं के संबंध में कानून बनाए हैं किन्तु उन्हें लागू नहीं किया है - वे इससे पीछे भी हट सकते हैं। बहरहाल हमारे यहां कोई भी वर्ग अपनी शक्तियों और विशेषाधिकार को बांटना नहीं चाहता। यह दूसरा कारण है जिसके बारे में मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 में ऐसा प्रावधान होना आवश्यक है । इसीलिए मैंने विधेयक में संशोधन करने के लिए संयुक्त समिति को उचित प्रस्ताव पेश किये थे।

9. मैं इस आशा के साथ यह विमति टिप्पण अभिलिखित करता हूं की जब संयुक्त समिति का प्रतिवेदन संसद सदस्यों के समक्ष रखा जायेगा तो सदस्य इस पर अवश्य विचार करेंगे और इस प्रकार राष्ट्र गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार कर सकेगा।

नई दिल्ली; **भोगेन्द्र झा**

1 जुलाई, 1992

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

(नीचे रेखांकित या पार्श्व रेखांकित शब्द उन संशोधनों के द्योतक हैं जिनका सुझाव समिति ने दिया है, तारांकित अंश लोपों के द्योतक हैं)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के भाग 8 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए भाग 9 का अंतःस्थापन।

''भाग 9

पंचायतें

परिभाषाएं। 243. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''जिला'' से किसी राज्य का राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ख) ''ग्राम सभा'' से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

(ग) ''मध्यवर्ती स्तर'' के ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाए;

(घ) ''पंचायत'' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ङ) ''पंचायत क्षेत्र'' से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) ''जनसंख्या'' से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं;

(छ) ''ग्राम'' से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

ग्राम सभा। 243क. राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, एक ग्राम सभा का उपबंध कर सकेगा जो ग्राम स्तर पर ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो ऐसी विधि द्वारा उसे सौंपे जाएं।

पंचायतों का गठन। 243ख. प्रत्येक राज्य में, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा।

पंचायतों की संरचना। 243ग. (1) इस भागके उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा।:

परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में, यथासाध्य, एक ही होगा।

(2) पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में, यथासाध्य, एक ही हो।

(3) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा—

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों के, जो ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों के, जहां वे—

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत मे, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वचन-क्षेत्रों से, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अन्यथा, चुने गए हैं।

(5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा।

(6) यदि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया है तो उसे उस पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि—

(क) पंचायत ने, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के अन्यून के बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव अंगीकार किए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष के हटायए जाने के लिए ग्राम सभा को सिफारिश न की हो; और

(ख) ग्राम सभा ने, उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित अधिवेशन में, उपस्थित और मत देने वाले अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने संबंधी कोई संकल्प पारित न कर दिया हो; किन्तु, ऐसे अधिवेशन में ग्राम सभा के सदस्यों के पचास प्रतिशत से न्यूयन सदस्य उपस्थित होने चाहिएं:

परन्तु यह तब जबकि ग्राम सभा का अधिवेशन पंद्रह दिनों से अन्यून की किसी सूचना के पश्चात् आयोजित किया जाता है:

परन्तु यह और कि यदि ग्राम सभा का अधिवेशन गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं किया जा सकता हो तो पंचायत द्वारा खंड (क) के अधीन अंगीकृत प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा और अध्यक्ष को हटाने संबंधी कोई और प्रस्ताव पंचायत द्वारा पूर्व प्रस्ताव के अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पंचायत में नहीं रखा जाएगा।

(7) जहां किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया है वहां उसे उस पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि पंचायत ने इस आशय का कोई संकल्प पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यन बहुमत द्वारा पारित न कर दिया हो।

243घ. (1) प्रत्येक पंचायत में— स्थानों का आरक्षण।

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गए स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचितजातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जाएंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की

स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जाएंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा, जैसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी।

(5) खण्ड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

पंचायतों का कार्यकाल, आदि।

243ङ. (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

*　　　　*　　　　*

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान से पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व,

पूरा किया जाएगा:

परन्तु जहां वह शेष अवधि के लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, जहां उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

243च. (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के निरर्हित होगा,—

*　　　　*　　　　*

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्रापत कर ली है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह परश्र **ऐसे प्राधिकारी की, और ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे**, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

243छ. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायंत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगेः—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, क्रियान्वित करे।

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायती की निधियां।

243ज. राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत का समनुदेशित कर सकेगा;

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों से जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं या की जाएं।

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।

243झ. (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, यथाशक्य शीघ्र, और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और,—

(क) उन सिद्धांतों की बाबत, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, अर्थात्:—

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के अपने-अपने अंशों का आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों सहायता-अनुदान;

(ख) कोई अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वितपोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए,

राज्यपाल की सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और रीति, जिससे उनका चयन किया जाएगा, का उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकारक-ज्ञापन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।

243ञ. राज्य का विधान-मंडल, पंचायतों द्वारा लेखे बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने की बाबत, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा।

पंचायतों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां।

243ट. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे पृथक प्राधिकारी के, जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबंध कर सकेगा।

संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।

243ठ. *** इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में उनका यह प्रभाव होगा माना राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रतिनिर्देश हैं और राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रतिनिर्देश, उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रतिनिर्देश हैं:

परन्तु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध*** किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

243ड. (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी:—

(क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम के राज्य;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें हैं और पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् हैं।

(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खण्ड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई हैं, के सिवाय, उस राज्य पर करेगा यदि उस राज्य की विधान सभा, इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है;

(2) संसद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

243ढ. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब कि सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता, या, जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रवृत्त बना रहेगा;

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, यदि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

243ण. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, विधि-मान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध है, अन्यथा नहीं''।

ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

3. संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

''ग्यारहवीं अनुसूची

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार भी है।
2. भूमि सुधार और भू-संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल-प्रबंध और जल-आच्छादन विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और कुक्कुट-पालन।
5. मात्स्यिकी।
6. सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।
7. लघु वन उत्पाद।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलियां, पुल, फ़ेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है।
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उपशमन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वाथय केंद्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. स्त्री और बाल विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचति जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।''।

परिशिष्ट एक

(प्रतिवेदन का पैरा 2 देखिए)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि भारत के संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग नौ को अन्तःस्थापित करना तथा ग्याहरवीं अनुसूची को जोड़ना) को आगे और संशोधित करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 30 सदस्य हों, और इस सभा के 20 सदस्य हों, अर्थात्

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्री लालजन एस० एम० बाशा
3. श्री एच० डी० देवगौड़ा
4. श्री दिग्विजय सिंह
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री डी० डी० खनोरिया
7. श्री एम० कृष्णास्वामी
8. श्री नाथू राम मिर्धा
9. श्री नीतीश कुमार
10. श्री रामेश्वर पाटीदार
11. श्रीमती सूर्यकांता पाटिल
12. श्री आर० रामास्वामी
13. डा० सुधीर राय
14. डा० साक्षीजी महाराज स्वामी
15. श्री पी० एम० सईद
16. श्री रामपाल सिंह
17. श्री सत्य देव सिंह
18. श्री शिवशरण सिन्हा
19. प्रो० के० वी० थामस
20. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

और राज्य सभा के 10 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति लोक सभा के बजट सत्र (1992) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय बनायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

परिशिष्ट दो

(प्रतिवेदन का पैरा 3 देखिए)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के 10 निम्नलिखित सदस्य अर्थात्

1. श्री हेच० हनुमनथप्पा
2. श्रीमती कैलाशपति
3. श्री छोटूभाई पटेल
4. श्री रफ़ीक आलम
5. श्री एस० माधवन
6. श्री शंकर दयाल सिंह
7. श्री प्रभाकर राव कलवला
8. श्री दीपेन घोष
9. श्री कामेश्वर पासवान
10. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम निर्देशित किए जाएं।"

परिशिष्ट तीन

(प्रतिवेदन का पैरा 8 देखिए)

संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए थे

1. श्री बी॰ पी॰ आर॰ विठ्ठल,
   डिप्टी चेयरमैन
   राज्य आयोजना बोर्ड,
   हैदराबाद।

2. श्री प्रकाश चन्द्र सूरी
   594, सेक्टर 18-बी
   चंडीगढ़-160018।

3. श्री जे॰ चोकका राव
   संसद सदस्य
   1, बलवंत रा॰ मेहता लेन
   कस्तूरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली।

4. श्री कोल्ला बेनकेइया
   भूतपूर्व सदस्य
   लोक सभा
   जिला गुंटूर।

5. श्री एल॰ सी॰ जैन
   भूतपूर्व सदस्य
   योजना आयोग
   दिल्ली।

6. श्री राम किशोर त्रिपाठी
   महासचिव
   अखिल भारतीय पंचायत परिषद,
   पटपड़ गंज
   दिल्ली-91।

7. श्री टी॰ आर॰ सतीशचन्द्र
   निदेशक
   इंस्टिट्यूट आफ सोशल एंड इकोनामिक चार्ज
   बंगलौर।

8. श्री अनिल अग्रवाल
   बी-12, प्रेस इन्कलेव
   नई दिल्ली-17।

9. राजस्थान राज्य सरकार
   जयपुर।

10. श्री मूलचंद जैन
    भूतपूर्व डिप्टी चैयरमैन
    योजना बोर्ड हरियाणा
    करनाल।

11. निदेशक
    राजाजी इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट
    पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन
    विश्वनिकेतन
    हैदराबाद।

12. श्री सैयद शाहबुद्दीन
    संसद सदस्य,
    14 जनपथ
    नई दिल्ली।

13. डा॰ एम॰ शिविया
    निदेशक,
    सैन्ट्र फार पंचायती राज
    नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट,
    राजेन्द्र नगर
    हैदराबाद।

14. श्री एन॰ बाला अंकैला, प्रेसीडेंट
    अनुसूचित जाति,
    जे॰ एफ॰ सी॰ एस॰, जिला-प्रकाशन
    आंध्र प्रदेश।

15. श्री टी॰ आर॰ देवेन्द्र
    चेयरमैन
    जिला प्रजा परिषद
    जिला रंगा रेड्डी
    सोमाजी गुडा
    हैदराबाद।

16. निदेशक,
    सेन्टर फार वुमेनस डेवलपमेंट स्टडीज
    पंचशील इन्कलेव
    नई दिल्ली।

17. श्री वी॰ पदमाभान
    मेनेजिंग ट्रस्टी,
    गांधी ट्रस्ट, गांधी ग्राम,
    तमिलनाडु।

18. श्री अभिजीत दत्ता
इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली।

19. डा॰ एस॰ के॰ राऊ
इंडियन इंस्टिट्यूट आफ रूरल डवलपमेंट
राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद।

20. प्रेसीडेंट (सहदेव चौधरी)
जिला पंचायत, सूरत
धारिया महल-395003

21. प्रो॰ एन॰ आर॰ इनामदार
निदेशक
इंस्टिट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड पोलिटिकल स्टडीज
पूणे-411009

22. श्री एस॰ डी॰ गोखले
सैन्टर फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट
मुम्बई।

23. श्री ए॰ के॰ घोष
78, मुनिरका इन्कलेव
नई दिल्ली-110067

24. श्री के॰ बी॰ श्रीवास्तव
निदेशक प्रभारी
नेशमल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट
राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद।

25. श्री बिपल्ब बी॰ बसु
निदशक
स्कूल आफ फन्डामेंटल रिसर्च
कलकत्ता।

26. श्री सी॰ नारायणा स्वामी
भूतपूर्व प्रेसीडेंट
बंगलौर रूरल जिला परिषद
196, दो मेनरोड, के आर बी लेदुत
गड्डालहल्ली, बंगलौर
बंगलौर-560094

27. अंडमान निकोबार सरकार
प्रशासन सचिवालय
पोर्ट ब्लेयर

28. सचिव
ग्रामीण विकास (सी आई) विकास
मद्रास, तमिलनाडु

29. श्री मोहन हीराबाई हीरालाल
वृक्ष मित्र,
गडचिरौली-442605
महाराष्ट्र।

30. श्री एम॰ रामकृष्णैय्या
आई ए एस (सेवानिवृत्त)
सलीम नगर-2
हैदराबाद-500036

31. श्री डी डी साठे,
आई सी एस (सेवानिवृत्त)
मुम्बई,
महाराष्ट्र

32. पश्चिम बंगाल सरकार
गृह विभाग
पोलिटिकल ब्रान्च।

33 दादर और नागर हवेली सरकार
सिल्वासा

34. हरियाणा सरकार,
डवलपमेंट एण्ड पंचायत डिपार्टमेंट,
चंडीगढ़

35. सर्वश्री सुधीर राय और दीपेन घोष
संसद सदस्य, नई दिल्ली

36. श्री छोटूभाई पटेल
संसद सदस्य
नई दिल्ली

37. पांडिचेरी सरकार
डवलपमेंट डिपार्टमेंट
पांडिचेरी

38. मध्य प्रदेश सरकार
पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट,
भोपाल

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 10)

संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची

1. श्री चोक्का राव,
   संसद सदस्य
   1, बलवंत राय मेहता लेन,
   कस्तूरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली।
2. श्री एल॰ सी॰ जैन,
   भूतपूर्व सदस्य,
   योजना आयोग।
3. श्री एस॰ आर॰ तिवारी,
   बलवंत राय मेहता पंचायती राज फाउंडेशन,
   पटपड़गंज, दिल्ली।
4. श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
   12-बी, प्रेस एनक्लेव,
   नई दिल्ली।
5. श्री ए॰ दत्ता,
   इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
   दिल्ली।
6. श्री ए॰ के॰ घोष,
   मुनिरका एनक्लेव,
   नई दिल्ली।
7. श्री प्रकाश चन्द सूरी,
   594, सेक्टर 18-बी,
   चंडीगढ़।
8. श्री सहदेव चौधरी,
   अध्यक्ष,
   जिला पंचायत, सूरत,
   गुजरात।
9. श्री नारायण स्वामी,
   भूतपूर्व अध्यक्ष,
   बंगलौर ग्रामीण जिला परिषद,
   बंगलौर।

परिशिष्ट पांच

संविधान (72वां संशोधन) विधेयक 1991 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

एक

पहली बैठक

22-1-1992

समिति की बैठक बुधवार, 22 ज़नवरी, 1992 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणिशंकर अय्यर
3. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
4. श्री दिग्विजय सिंह
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
7. श्री नीतीश कुमार
8. श्री रामेश्वर पाटीदार
9. श्री रामपाल सिंह
10. श्री सत्यदेव सिंह
11. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
12. श्री रफीक आलम
13. श्री दीपेन घोष
14. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
15. श्रीमती कैलाशपति
16. श्री प्रभाकर राव कलवला
17. श्री एस॰ माधवन
18. श्री कामेश्वर पासवान
19. श्री छोटू भाई पटेल
20. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ आर॰ शंकरन — **सचिव**
2. श्री एस॰ सोम — **अपर सचिव**
3. श्री डी॰ सिंघई — **उप सचिव**

विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता**
2. श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी — **उप विधायी परामर्शदाता**

2. प्रारंभ में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और समिति के समक्ष प्रस्तावित विधायी उपाय और कार्य के महत्व एवं

अत्यावश्यकता का उल्लेख किया।

3. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री जी० वेंकटस्वामी, जिन्हें सभापति ने आमंत्रित किया था, ने प्रक्रिया नियमों के नियम 299 के अधीन विशेष अतिथि के रूप में बैठक में भाग लिया। श्री वेंकटस्वामी ने समिति को प्रस्तावित विधान की पृष्ठभूमि, पेचीदगियों एवं अत्यावश्यकता के बारे में बताया।

4. समिति ने ज्ञापन आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति (अनुबंध) जारी करने का निर्णय लिया, जिसमें राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, सार्वजनिक निकायों, संगठनों एवं व्यक्तियों से 24 फरवरी, 1992 तक विधेयक के बारे में टिप्पणियां/सुझाव भेजने के लिए कहा गया है। समिति यह भी चाहती थी कि प्रेस विज्ञप्ति के बारे में समाचारपत्रों/दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए। मंत्रालय को जन जाग्रति लाने के लिए विधेयक की विषयवस्तु के बारे में व्यापक प्रचार हेतु उपाय खोजने के लिए कहा गया।

5. समिति यह भी चाहती थी कि विधेयक के संबंध में उनकी टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, अन्य सामाजिक संगठनों और पंचायती राज के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को एक परिपत्र भेजा जाये।

6. समिति चाहती थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसी विषय पर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार करे जिसे इन संगठनों, निकायों, व्यक्तियों आदि को भेजा जा सके जिससे वे समिति के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकें।

7. इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय से ऐसे संगठनों, संस्थाओं और पंचायती राज के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सूची देने का अनुरोध किया जाये जिनसे टिप्पणियां/सुझाव मांगे जायें।

8. समिति ने नोट किया कि सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, उनसे सभा में अपनी रिपोर्ट बजट सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अतः समिति की कार्यावधि 28 फरवरी, 1992 को समाप्त हो जायेगी। चूंकि समिति को अभी ज्ञापन प्राप्त होने हैं और उन पर विचार किया जाना है इस पर खंडवार विचार किया जाना है और विधेयक के अन्य चरणों को पूरा करना शेष था अतः उसके लिए अपनी रिपोर्ट निर्धारित दिन तक प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। जहां तक समयावधि बढ़ाये जाने का संबंध है समिति ने अपनी अगली बैठक में इस मामले पर निर्णय लेने का निर्णय लिया।

9. तत्पश्चात समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और निर्णय लिया कि माननीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति के अध्यधीन, (1) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार; और (2) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा हेतु अगली बैठकें 19 और 20 फरवरी, 1992 को हैदराबाद में की जायें।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

पंचायती राज पर संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति

प्रैस विज्ञप्ति

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991 संबंधी संयुक्त समिति ने श्री नाथूराम मिर्धा, संसद सदस्य के सभापतित्व में अपनी पहली बैठक में सार्वजनिक निकायों, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन आमंत्रित करने का निश्चय किया।

विधेयक का आशय भारत के संविधान में संशोधन करना और संविधान में नये भाग-नौ और अनुसूची ग्यारह को सम्मिलित करना है जो संविधान में ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा; ग्राम स्तर और अन्य स्तरों पर पंचायतों के गठन; पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण; पंचायतों का कार्यकाल नियत करने, राज्य विधान मंडल द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए और विकास संबंधी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को तैयार करने की बाबत शक्तियों और उत्तरदायित्वों के न्यायागमन आदि है।

जो भी समिति को ज्ञापन देना चाहे वे उसकी 40 प्रतियां, यदि सम्भव हो, महासचिव, लोकसभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली को भेजे जिससे कि वे 24 फरवरी, 1992 को या उससे पहले पहुंच जाये। समिति को भेजे गये ज्ञापन समिति का रिकार्ड बनेंगे और उन्हें पूर्णतः गोपनीय रखा जाये और उन्हें किसी को भी परिचालित न किया जाये। ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार का हनन माना जायेगा।

जो समिति के समक्ष ज्ञापनों के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य देना चाहे, उनसे अनुरोध है कि वे समिति के विचारार्थ अपने नाम लोक सभा सचिवालय को सूचित करें।

लोक सभा में यथापुरःस्थापित संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991, पंचायती राज विधेयक के नाम से जाना जाता है, यह विधेयक 16 सितम्बर, 1991 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित किया गया था।

नई दिल्ली;

22 जनवरी, 1992

दो

दूसरी बैठक

16-3-1992

समिति की बैठक सोमवार, 16 मार्च, 1992 को 15.00 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा सं॰ 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणिशंकर अय्यर
3. श्री लालजांन एस॰ एम॰ बांशा
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री डी॰ डी॰ खनोरिया
6. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
7. श्री नीतीश कुमार
8. डा॰ सुधीर राय
9. श्री रामपाल सिंह
10. श्री शिव शरण सिन्हा
11. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
12. श्री दीपेन घोष
13. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
14. श्रीमती कैलाशपति
15. श्री एस॰ माधवन
16. श्री छोटू भाई पटेल

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ सोम — **अतिरिक्त सचिव**
2. श्री डी॰ सिंघई — **उप सचिव**

विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**
2. श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी — **उप विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में, सभापति ने अभी तक किये गये कार्य की प्रगति के बारे में समिति को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से 28 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिन्हें परिचालित किया जा चुका है और उन्हें खंडवार सरणीबद्ध करने और उनमें उठाये गये मुद्दों पर टिप्पणी करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लियाः

एक. श्री जे॰ चौक्का राव, संसद सदस्य
(15.15 बजे से 16.15 बजे तक)

दो. श्री एल॰ सी॰ जैन, भूतपूर्व सदस्य,
योजना आयोग
(16.15 बजे से 17.30 बजे तक)

तीन. बलवंत्रे मेहता,
पंचायती राज फाउन्डेशन
पटपड़गंज, दिल्ली

वक्ता

श्री एस॰ आर॰ तिवारी, सचिव
(17.30 बजे से 18.00 बजे तक)

4. सदस्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

17-3-1992

समिति की बैठक मंगलवार 17 मार्च, 1992 को समिति कमरा सं 50 में संसद भवन, नई दिल्ली में 16.45 बजे से 18.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री भोगेन्द्र झा
3. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
4. श्री छोटूभाई पटेल
5. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर के चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ सोम — **अपर सचिव**
2. श्री डी॰ सिंघई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार**
2. श्री के॰ एन चतुर्वेदी — **उप विधायी सलाहकार**

2. समिति ने निम्नलिखित संगठनों व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

1. श्री अनिल कुमार अग्रवाल
   12-बी प्रेस एन्क्लेव
   नई दिल्ली
   (1645 से 1700 बजे तक)
2. इण्डियन इस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली
   प्रवक्ता
   श्री ए॰ दत्ता
   (1700 से 1745 बजे तक)
3. श्री ए॰ के॰ घोष
   मुनिरका एन्क्लेव,
   नई दिल्ली
   (1745 से 1815 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

30.3.1992

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 30 मार्च, 1992 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक, समिति कमरा संख्या 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम मिर्धा — **सभापति**

सदय

2. श्री मणिशंकर अय्यर
3. श्री लालजान एस॰ एम॰ बाशा
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
6. श्री नीतीश कुमार
7. श्री शिवशरण सिन्ध

सचिवालय

श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**

श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस॰ सोम — **अतिरिक्त सचिव**

श्री डी॰ सिंघई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**

श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी — **उप विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में, सभापति ने समिति को सूचित किया कि चूंकि समिति की पिछली बैठक 17 मार्च, 1992 को हुई थी और समिति को विधेयक के प्रावधानों के संबंध में 4 और ज्ञापन प्राप्त हुए थे, इस प्रकार अब तक प्राप्त हुए ज्ञापनों की कुल संख्या 32 तक पहुंच गई है। समिति अब तक छः संगठनों/व्यक्तियों का साक्ष्य ले चुकी है।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों का आगे साक्ष्य लेना आरंभ किया:—

एक. श्री सहदेव चौधरी,
अध्यक्ष, जिला पंचायत
सूरत।
(1500 बजे से 1600 बजे तक)

दो. श्री प्रकाश चन्द सूरी,
594, सैक्टर 18-बी,
चण्डीगढ़।
(1600 बजे से 1645 बजे तक)

तीन. श्री सी॰ नारायण स्वामी
भूतपूर्व अध्यक्ष
बंगलौर जिला ग्रामीण परिषद्
(1645 से 1730 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् सभापति महोदय ने घोषणा की कि विधेयक के विभिन्न खण्डों में संशोधनों की सूचनाएं देने के इच्छुक सदस्य ऐसा कर सकते हैं और इन सूचनाओं को लोक सभा सचिवालय को अधिकतम **शुक्रवार दिनांक 10 अप्रैल, 1992 तक भेज सकते हैं।**

6. समिति ने विधेयक पर खण्ड-दर-खण्ड विचार करने हेतु अपनी अगली बैठक 20 अप्रैल, 1992 से आरंभ करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पांच

पांचवीं बैठक

22-4-1992

समिति की बैठक 22 अप्रैल, 1992 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा सं॰ 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री भोगेन्द्र झा
4. श्री डी॰ डी॰ खनोरिया
5. श्री रामेश्वर पाटीदार
6. श्री आर॰ रामास्वामी
7. श्री सुधीर राय
8. श्री सत्यदेव सिंह
9. श्री दिपेन घोष
10. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
11. श्री एस॰ मधावन
12. श्री छोटू भाई पटेल

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ आर॰ शंकरन — **सचिव**
2. श्री डी॰ सिंघाई — **उप सचिव**

विधि तथा न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰ एस॰ सलूजा—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**

2. आरंभ में, कुछ सदस्यों ने बताया कि समिति द्वारा विधेयक पर खंडवार विचार विमर्श से पहले उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा समिति को प्रस्तुत ज्ञापन दिए गए खंडवार सुझावों वाली एक तालिका दी जाए ताकि वे विधेयक के संशोधन को उचित नोटिस दे सकें। जब तक उन्हें ऐसी तालिका नहीं दी जाती समिति के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह खंडवार विचार विमर्श करे। दूसरी ओर सदस्य ने ध्यान दिलाया कि सचिवालय को प्राप्त सभी सामग्री सदस्यों को मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के साथ, जिनमें गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कृत ज्ञापन विश्लेषण तथा कुछ गैर सरकारियों के साथ हुई चर्चा का शब्दशः रिकार्ड है, सदस्यों को दे दिया गया है। इसलिए सदस्य खंडवार विचार कर सकते हैं। सभापति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि सदस्यों से 10 अप्रैल, 1992 तक विशिष्ट संशोधनों की नोटिस देने का अनुरोध किया गया था और वास्तव में चार सदस्यों से संशोधन प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवेदन की 30 अप्रैल, 1992 तक की बढ़ी हुई

अवधि में प्रस्तुत करने के लिए सभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अभीष्ट था कि खंडवार विचार तुरंत किया जाए। कुछ और विचार विमर्श के बाद सभापति ने स्वीकार किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय उक्त तालिका तैयार करे और सदस्यों के परिचालनार्थ 24 अप्रैल, 1992 तक लोक सभा सचिवालय को भेज दें। यह निर्णय भी लिया गया था कि 27 अप्रैल, 1992 तक समिति के सदस्य और संशोधनों, यदि हों, का नोटिस दे सकते हैं। इसलिए विधेयक पर खंडवार विचार करना स्थगित कर दिया गया था।

समिति ने विधेयक के खंडवार विचार के लिए अपनी अगली बैठक मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992 को 18.00 बजे करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

28-4-1992

समिति की बैठक मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992 को समिति कमरा सं॰ 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में 18.00 बजे से 20.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री भोगेन्द्र झा
4. श्री डी॰ डी॰ खनोरिया
5. श्री एम॰ कृष्णस्वामी
6. श्री नीतिश कुमार
7. डा॰ सुधीर राय
8. श्री रामपाल सिंह
9. श्री दीपेन घोष
10. श्री एस॰ माधवन
11. श्री छोटूभाई पटेल

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ आर॰ संकरन — **सचिव**
2. श्री एस॰ सोम — **अपर सचिव**
3. श्री डी॰ सिंघई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
2. श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी — **उप विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में सभापति ने सूचित किया कि जैसा कि सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी, एक विवरण, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये ज्ञापनों में खण्ड-वार दिये गये सुझाव शामिल हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भेजा गया है और उसे समिति के सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है। सभापति ने यह भी बताया कि इस विधेयक पर विशिष्ट संशोधनों हेतु 27 अप्रैल, 1992 तक सदस्यों से और सूचनाएं भेजने का अनुरोध किया गया था। अब तक इस सचिवालय को मात्र छह सदस्यों से ही विशिष्ट संशोधन प्राप्त हुए हैं और खण्ड-वार विशिष्ट संशोधनों को दशनि वाली एक समेकित सूची भी भेजी जा चुकी है। अतः समिति आगे खण्ड-वार विचार कर सकती है।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया।

(एक) खण्ड-2 अनुच्छेद 243

समिति ने नोट किया कि "ग्राम सभा" शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 243 क(2) में शामिल की गई है। जबकि अन्य सभी शब्दों की परिभाषाएं अनुच्छेद 243 में दी गई हैं। अतः समिति यह महसूस करती है कि "ग्राम सभा" शब्द की परिभाषा को खण्ड 243 में भी उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिये।

(दो) अनुच्छेद 243(क)

समिति ने बताया कि "ग्राम सभा" द्वारा "अधिकारों का प्रयोग" शब्दावली सही नहीं थी तथा "अधिकार" शब्द के स्थान पर "कृत्य" प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

तदनुसार विधायी सलाहकार को खण्ड का पुनः प्रारूप तैयार करने का निदेश दिया ताकि समिति उस पर अपनी अगली बैठक में विचार कर सके। चर्चा पूरी नहीं हुई।

4. समिति ने यह महसूस किया कि निर्धारित तिथि अर्थात 30 अप्रैल, 1992 तक अपने कार्य को पूरा करना और प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना समिति के लिये संभव नहीं हो सकेगा। अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन मानसून सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया।

5. समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार और आगे चर्चा करने हेतु बुधवार, 29 अप्रैल, 1992 को 18.00 बजे अपनी अगली बैठक करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

11-5-1992

समिति की बैठक सोमवार, 11 मई, 1992 को समिति कमरा सं॰ 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में 9.00 बजे से 10.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री लालजन एस॰ एम॰ बाशा
4. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री डी॰ डी॰ खनोरिया
7. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
8. श्री नीतीश कुमार
9. श्रीमती सूर्यकांत पाटिल
10. श्री आर॰ रामासामी
11. श्री रामपाल सिंह
12. श्री शिवशरण सिंह
13. श्री दीपेन घोष
14. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
15. श्रीमती कैलाशपति
16. श्री एस॰ माधवन

सचिवालय

1. श्री एस॰सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ आर॰ शंकरन — **सचिव**
2. श्री एस॰ सोम — **अपर सचिव**
3. श्री डी॰ सिंघाई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलुजा — **संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री के॰ एन॰ चतुर्वेदी — **उप विधायी परामर्शदाता**

2. समिति ने "ग्राम सभा" के गठन, जनसंख्या और आकार के संबंध में अनुच्छेद 243क पर सामान्य चर्चा की। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति ने महसूस किया कि संवैधानिक संशोधन विधेयक में "ग्राम सभा" के क्षेत्र अथवा लोगों की संख्या अथवा उसके कार्य का विशेष रूप से उल्लेख करना संभव नहीं होगा। इसका मूल उद्देश्य निम्नतम स्तर पर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार और शक्ति का अंतरण करना है। समिति का यह विचार था कि इस संबंध में इस विधेयक में प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तत्पश्चात् समिति ने न्याय पंचायत की नई अवधारणा को विचार के लिए लिया जिसके संबंध में अनेक संशोधन प्राप्त हुए हैं। समिति ने यह महसूस किया कि हमारे संविधान की वर्तमान योजना को ध्यान में रखते हुए जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है वहीं "ग्राम पंचायत" में न्यायिक कर्तव्यों को निहित करके कार्यकारी कर्तव्य सौंपना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इस प्रकार न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने का सिद्धांत ग्रामीण स्तर पर भी अच्छा होना चाहिए। अतः वर्तमान विधेयक में किसी भी संशोधन को शामिल करना उचित नहीं होगा जिसका उद्देश्य केवल पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करना है।

4. समिति की बैठक विधेयक पर, खण्ड-वार आगे विचार करने के लिए 12 मई, 1992 को 9.00 बजे से अपनी अगली बैठक करने के लिए स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

12-5-1992

समिति की बैठक मंगलवार, 12 मई, 1992 को 9.15 बजे से 11.00 बजे तक समिति कमरा संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री भोगेन्द्र झा
4. श्री एम० कृष्णावामी
5. श्री नितिश कुमार
6. श्रीमती सूर्यकांत पाटिल
7. डा० सुधीर राय
8. श्री रामपाल सिंह
9. श्री सत्यदेव सिंह
10. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
11. श्री दीपेन घोष
12. श्री एच० हनुमनतप्पा
13. श्री एस० माधवन
14. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर० के० चटर्जी — **उप सचिव**
3. श्री डी० एल० कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० आर० शंकरन — **सचिव**
2 श्री एस० सोम — **अतिरिक्त सचिव**
3. श्री डी० सिंघाई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी० एस० सलुजा — **संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
2. श्री के० एन० चतुर्वेदी — **उप विधायी सलाहकार**

2. समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अनुच्छेद 243 पर आम चर्चा की। समिति ने विधेयक के विद्यमान प्रावधानों में निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया :-

अनुच्छेद 243

पृष्ठ 1, बारहवीं पंक्ति के बाद

निम्नलिखित उप खंड (ख) **जोड़े**

"(ख) ग्राम सभा का अर्थ है एक ऐसे व्यक्तियों का निकाय जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंदर समाविष्ट ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हो।"

अनुच्छेद 243क

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 16-20

के स्थान पर प्रतिस्थापित करें

"243 क किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाने पर कोई ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो उसे ऐसी विधि द्वारा प्रदत्त की गई हों।"

अनुच्छेद 243ख

पृष्ठ 2, पंक्ति 21-25

के स्थान पर प्रतिस्थापित करें

"243 ख प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।"

अनुच्छेद 243ग

5.(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 31-45 पृष्ठ 3 पंक्ति 1-2 **के स्थान पर प्रतिस्थापित करें**

"(2) पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में, यथासाध्य, एक ही हो।"

(3) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है:—

(क) ग्राम स्तर पर, पंचायतों के अध्यक्षों का, मध्यवर्ती स्तर पर, पंचायतों में,

(2) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(दो) पृष्ठ 3 पंक्ति 3-18 के स्थान पर **प्रतिस्थापित करें**

"(ग)" लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं—जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में,

(घ) राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य, जहां वे निर्वाचक के रूप में वहां पंजीकृत हैं:

(एक) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत क्षेत्र; मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में, तथा जिला स्तर पर;

(दो) ऐसी पंचायत में जिला स्तर पर पंचायती क्षेत्र

(4) पंचायत के अध्यक्ष तथा पंचायत के अन्य सदस्यों को, पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक चुनाव-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों अथवा नहीं।

पंचायत के अधिवेशनों में मतदान देने का अधिकार होगा।

5(क) ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचन द्वारा इस प्रकार चुना जाएगा जैसा कि राज्य विधान मंडल विधि द्वारा उपबंध करें; और

(ख) अध्यक्ष मध्यवर्ती स्तर पर अथवा जिला स्तर पर चुने हुए सदस्यों में से चुना जाएगा।"

(6) जहां पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, पंचायत के चुने हुए सदस्यों में से किया जाता है, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए पंचायत द्वारा प्रस्तुत कोई भी वैद्य और प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि ऐसा प्रस्ताव पंचायत के चुने हुए कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा तथा ऐसे उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों तथा मतदान द्वारा उसे पारित नहीं किया जाता।

6. तत्पश्चात समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आगे और खंडवार आम चर्चा करने के लिए 9 से 11 जून, 1992 तक प्रतिदिन 10.30 बजे से 13.00 बजे तक तथा पुनः 15.30 बजे से 18.00 बजे तक अपनी बैठकें करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

नौ

नौवीं बैठक

9-6-1992

समिति की बैठक मंगलवार, 9 जून, 1992 को 10.30 बजे से 13.00 बजे तथा 15.30 बजे से 17.45 बजे तक समिति कमरा संख्या 'सी', भूमि तल, संसदीय सौध नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
3. श्री दिग्विजय सिंह
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
6. श्री नीतिश कुमार
7. श्री रामेश्वर पाटीदार
8. श्रीमती सूर्यकांता पाटिल
9. डा॰ सुधीर राय
10. श्री रामपाल सिंह
11. श्री सत्यदेव सिंह
12. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस
13. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
14. श्री दीपेन घोष
15. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
16. श्री एस॰ माधवन
17. श्री छोटूभाई पटेल
18. श्री शंकर दयाल सिंह
19. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
3. श्री डी॰ एल॰ कपूर — सहायक निदेशक

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ सोम — अपर सचिव
2. श्री डी॰ सिंघाई — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — संयुक्त सचिव विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने अनुच्छेद 243ग पर पुनः विचार किया और निर्णय लिया कि उपखंड (3) के निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए:

''ऐसी रीति से और ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं।''

3. चूंकि, मामले पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए थे, समिति ने अनुच्छेद 243 (ग) के उप खंड (5) पर और आगे विचार करना स्थगित कर दिया।

अनुच्छेद 243 (घ)

4. समिति ने निम्नलिखित निर्णय लियाः-

(i) पृष्ठ 3, पंक्ति 19

''243 घ(i) के पश्चात ''(क)'' अंतःस्थापित करें।

(ii) पृष्ठ 3, पंक्ति 20

''और के पश्चात (ख)''अंतः स्थापित करें।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई। समिति की बैठक पुनः समवेत हुई और प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में विधेयक के प्रावधानों पर और आगे खंडवार सामान्य चर्चा पुनः प्रारंभ की।

अनुच्छेद 243(ङ)

6. समिति ने निम्नलिखित निर्णय लियाः

पृष्ठ 4, पंक्तियां 10-13 —के लिए

प्रतिस्थापित करें ''(2) इस समय प्रवर्तित किसी भी विधि का संशोधन किसी भी स्तर पर पंचायत के विघटन का कारण नहीं होगा। इस संशोधन के तत्कालपूर्व से कार्य कर रही थी और उनका विघटन तभी हो सकेगा जबकि खंड-एक में विनिर्दिष्ट अवधि का समापन न हो।

''(3) पंचायत का गठन करने के लिए चुनावः-

(क) खंड (एक) में दी गई विशिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व;

(ख) इसके विघटन की तिथि से पूर्व छह महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व कराए जाएं।

अनुच्छेद 243(च)

7. पृष्ठ 4, पंक्ति 35 के पश्चात्

(i) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएः-

''बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को इस उप-खंड के अंतर्गत मात्र इस आधार पर, कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसकी आयु 21 वर्ष है, निरर्हर नहीं माना जाएगा।''

(ii) पृष्ठ 4, पंक्ति 41-42

''राज्यपाल और उनका निर्णय अंतिम होगा'' के स्थान पर ''ऐसे अधिकार और इस प्रकार के जैसे कि राज्य के विधान मंडल में विधि अनुसार प्रदत्त है और ऐसे अधिकार का निर्णय अंतिम होगा।''

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक 10.30 बजे बुधवार, 10 जून, 1992 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

10-6-1992

समिति की बैठक बुधवार, 10 जून, 1992 को 10.40 बजे से 13.00 बजे तक तथा पुनः 15.30 से 17.30 बजे तक समिति कमरा सं० "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम मिर्धा - — **सभापति**

सदस्य

2. श्री एच०डी० देवगौड़ा
3. श्री दिग्विजय सिंह
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एम० कृष्णास्वामी
6. श्री रामेवर पाटीदार
7. डा० सुधीर राय
8. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
9. श्री दीपेन घोष
10. श्री एच० हनुमन्तप्पा
11. श्रीमती कैलाशपति
12. श्री एस० माधवन
13. श्री छोटू भाई पटेल
14. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री डी० एल० कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० सोम — **अपर सचिव**
2. श्री डी० सिंघाई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी० एस० सलूजा —**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**

2. समिति ने अनुच्छेद 243(छः) तथा 243(ज) पर विचार किया। चूंकि समिति के सदस्यों में पृष्ठ 5, पंक्ति 6 और 25 में "जाऐं" शब्दों के स्थान पर "जायेंगे" शब्द के प्रयोग पर परस्पर मतभेद था इसलिए समिति ने इन दो अनुच्छेदों पर आगे विचार करना रोक दिया।

अनुच्छेद 243 (झ)

3. पृष्ठ 5, पंक्ति 27 "1991" के स्थान पर "1992" प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गयी। समिति पुनः समवेत हुई और उसने प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में विधेयक के प्रावधानों पर दुबारा खण्डवार आम चर्चा आरंभ की।

खण्ड 243 (ट)

4. समिति ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 14, " राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी" के स्थानं पर "ऐसा पृथक प्राधिकारी जिसका विधि में उल्लेख किया गया हो" प्रतिस्थापित करें।

खण्ड 243 (ड)

(एक) पृष्ठ 7, पंक्ति 10, "1991" के स्थान पर "1992" प्रतिस्थापित करें।

(दो) पृष्ठ 7, पंक्ति 24, "पश्चवर्ती" के स्थान पर "पूर्वतर", प्रतिस्थापित करें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरूवार 11 जून, 1992 को 10.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

11-6-92

समिति की बैठक गुरूवार, 11 जून, 1992 को समिति कमरा ''सी'', भूमितल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 10.40 बजे से 11.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम निर्धा —**सभापति**

सदस्य

2. श्री भोगेन्द्र झा
3. श्री रामेश्वर पाटीदार
4. श्रीमती सर्यूकांता पाटिल
5. डा॰ सुधीर राय
6. श्री रामपाल सिंह
7. श्री सत्य देव सिंह
8. प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस
9. श्री दीपेन घोष
10. श्री एस॰ माधवन
11. श्री कामेश्वर पासवान
12. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री डी॰ एल॰ कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ सोम — **अवर सचिव**
2. श्री डी॰ सिंघाई — **उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**

2. संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विधेयक के उपबंधों पर आगे खंडवार चर्चा आरंभ की।

3. विधेयक में नए खंड को शामिल करने हेतु समिति के एक सदस्य द्वारा दी गई जिला योजना की सूचना के संबंध में समिति ने ''सामान्य सुझाव'' पर विचार किया। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति वर्तमान विधेयक में किसी नये उपबंध को शामिल करने के लिए सहमत नहीं हुई।

4. तत्पश्चात् समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी सलाहकार को यह निदेश दिया कि समिति की 23 और 24 जून, 1992 को 10.30 बजे से 13.00 बजे और 15.30 बजे से 18.00 बजे तक होने वाली बैठक के लिये अब तक हुई चर्चा के आधार पर विचार करने के लिए विधेयक प्रारूप तैयार करें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

29-6-1992

समिति की बैठक सोमवार, 29 जून, 1992 को 10.30 बजे से 12.25 तक समिति कमरा ''बी'', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथूराम निर्धा — **सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री दिग्विजय सिंह
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एम० कृष्णासवामी
6. श्री नितिश कुमार
7. श्री रामेश्वर पाटीदार
8. डा० सुधीर राय
9. श्री पी० एम० सईद
10. श्री रामपाल सिंह
11. श्री सत्यदेव सिंह
12. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
13. श्री रफीक आलम
14. श्री एच० हनुमनतप्पा
15. श्री छोटूभाई पटेल
16. श्री शंकर दयाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुंप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री डी० एल० कपूर — **सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० सोम — **अपर सचिव**
2. श्री डी० सिंघाई — **उप सचिव**

विधि तथा न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बी० एस० सलूजा — **संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार**

2. समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार किया।

3. **अनुच्छेद 243:**

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गयाः

पृष्ठ 1 के अंत में निम्नलिखित खंड (ख) जोड़ा जायेः

''(ख) ग्राम सभा से तात्पर्य, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूचियों में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय।''

अनुच्छेद 243, यथा संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

4. **अनुच्छेद 243कः**

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गयाः

पृष्ठ 2 के पंक्ति 15-20 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें:

''243क किसी राज्य की विधान सभा विधि द्वारा ग्राम सभा के लिए ऐसा प्रावधान करे कि ग्राम स्तर पर वह ऐसे कार्य कर सके जैसे कि इस प्रकार के कानून द्वारा उसे सौंपे जाएं।''

5. **अनुच्छेद 243ख:**

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:

पृष्ठ 2 पंक्ति 20 से 25 **के स्थान पर प्रतिस्थापित करें**

''243ख प्रत्येक राज्य में संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के अंदर इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।''

अनुच्छेद 243 ख यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

6. **अनुच्छेद 243ग**

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 31-32 **के स्थान पर प्रतिस्थापित करें:**

''(2) पंचायत में सभी स्थान पर चयन प्रत्यक्ष रूप से किया जायेगा।''

(3) निम्न प्रतिनिधित्व की राज्य की विधान सभा विधि द्वारा प्रावधान करेगी:

(क) ग्राम स्तर पर पंचायती मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का:

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के जिला स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का:

(दो) पृष्ठ 3 पंक्ति 8-15 **के स्थान पर प्रतिस्थापित करें:**

(घ) राज्य सभा के सदस्यों तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जहां व निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो, किसी एक—

(एक) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत क्षेत्र में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में;

(दो) जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र, जिला स्तर पर ऐसी पंचायतों में।

4. पंचायत के अध्यक्ष तथा पंचायतों के अन्य सदस्य, प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों अथवा नहीं, उन्हें पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

5. (क) ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जायेगा; और

''(ख) मध्यवर्ती स्तर अथवा जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके चुने हुए सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किया जाएगा।''

(6) जहां ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चयन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जता है, उसे उस पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि:—

(क) पंचायत अपने कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत और ऐसे सदस्यों के दो तिहाई से ज्यादा बहुमत द्वारा जो उपस्थित हों तथा मतदान में भाग ले रहे हों, प्रस्ताव स्वीकार करने के तत्पश्चात, अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए ग्राम सभा से सिफारिश न करे; और

(ख) ग्राम सभा विशेषकर इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई, बैठक में अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित न करे; जबकि ऐसी बैठक में ग्राम सभा के पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपस्थित न हों बशर्ते कि ग्राम सभा की बैठक कम से कम 15 दिन की सूचना के पश्चात् की जाए बशर्ते कि इसके अतिरिक्त यदि ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति द्वारा पूर्ण न होने के कारण नहीं हो सकती, तो पंचायत द्वारा खंड (क) के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्ताव कालातीत हो जाएगा और अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए पंचायत द्वारा पिछले प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के तिथि के एक वर्ष की अवधि के भीतर पंचायत में कोई भी अन्य प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

7. जहां पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया गया है, उसे उस पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि पंचायत अपने कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत द्वारा उस संबंध में संकल्प पारित न कर दें।

अनुच्छेद 243ग यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 243 (घ)

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गया:

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 20 ''के लिए'' के बाद ''(क)'' अंतःस्थापित करें

(11) पृष्ठ 3, पंक्ति 20 ''और'' के बाद ''ख'' अंतःस्थापित करें

अनुच्छेद 243घ यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया

8. अनुच्छेद 243ङ

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गया।

पृष्ठ 4, 10-13 तक की पंक्तियों **के स्थान पर** (2) तत्समय प्रवृत किसी विधि का संशोधन किसी भी स्तर पर उस पंचायत को विघटित नहीं कर सकता, जो खंड (1) में विनिर्दिष्ट इसके कार्यकाल के अवसान होने तक इस संशोधन से तत्काल पूर्व कार्य कर रही है।''

प्रतिस्थापित करें।

(3) पंचायत के गठन हेतु चुनाव कार्यः—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट इसके कार्यकाल के अवसान से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए।

(ख) इसके विघटन की तिथि की तिथि से छः माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए।

अनुच्छेद 243ङ यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

9. अनुच्छेद 243 चः

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किये गएः

(एक) पृष्ठ 4, 23-32 तक की पंक्तियों का लोप किया जाए

(दो) पृष्ठ 4, 33-38 तक की पंक्तियां

"(ङ) और "(च)" **के स्थान पर**

"(क)" और "(ख)" **प्रतिस्थापित करे**

(तीन) पृष्ठ 4 के पंक्ति 35 के बाद्।

निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएः—

''बशर्ते कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि वह इक्कीस वर्ष पूरे कर चुका है।''

(चार) पृष्ठ 4 पंक्ति 41-42

''राज्यपाल और उसका निर्णय अंतिम होगा''

के स्थान पर

''ऐसे प्राधिकरण और ऐसी रीति से जैसा कि राज्य की विधानमंडल, विधि द्वारा उपबंध करे'' **प्रतिस्थापित करें**

अनुच्छेद 243 (च) यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

10. **अनुच्छेद 243छ और 243ज** को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

11. अनुच्छेद 243झ

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गयाः

पृष्ठ 5 पंक्ति 27

"1991" **के स्थान पर**

"1992" **प्रतिस्थापित करें**

अनुच्छेद 243झ यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

12. **अनुच्छेद 243ञ** को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

13. अनुच्छेद 243ट

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया

पृष्ठ 6 पंक्ति 14

''राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी'' **के स्थान पर**

''एक ऐसा अलग प्राधिकरण जिसका ऐसी विधि में उपबंध किया गया हो'' **प्रतिस्थापित करें**

अनुच्छेद 243ट यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

14. अनुच्छेद 243ठ

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गया।

(एक) पृष्ठ 6 पंक्ति 23 के बाद **जोड़ा जाए।**

''बशर्ते कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे कि इस भाग के उपबंध, उन अपवादों और उपांतरणों के अध्यधीन किसी भी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होंगे, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(दो) 24-28 तक की पंक्तियों का **लोप करें।**

15. **अनुच्छेद 243 (ड)** को बिना किसी संशोधान के स्वीकार किया गया।

16. **अनुच्छेद 243 ढ**

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए गए:

(एक) पृष्ठ 7 पंक्ति 10

''1991'' **को स्थान पर**

''1992'' **प्रतिस्थापित करें**

(दो) ''या, ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व उस राज्य में विद्यमान किसी स्तर पर पंचायतों के दीर्घतम कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों।''

के स्थान पर

''जो भी पहले हो'' **प्रतिस्थापित करें**

अनुच्छेद 243 ढ यथासंशोधित रूप में स्वीकार किए गए।

17. **अनुच्छेद 243ण** को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

18. ग्यारहवीं अनुसूची को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

19. **खंड 1**

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गया।

पृष्ठ 1 पंक्ति 4

''1991'' **को स्थान पर**

''1992'' **प्रतिस्थापित करें**

खंड 1 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

20. **अधिनियम सूत्र**

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया गया।

पृष्ठ 1 पंक्ति 1

''बयालीस'' **के स्थान पर**

''तेतालीस'' प्रतिस्थापित किया जाए। अधिनियम सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

21. पूरे नाम को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कियां गया।

22. सदस्यों से प्राप्त् उन संशोधनों को जिन पर विचार किया गया लेकिन समिति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था जिन्हें सदस्यों द्वारा वापिस ले लिया गया, **परिशिष्ट** में दिए गए हैं।

23. तत्पश्चात समिति ने विधायी सलाहकार को स्पष्ट गलतियों को ठीक करने और विधेयक में मौखिक एवं परिणाम जन्य स्वरूप के संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

अनुबन्ध

लोक सभा सचिवालय

(समिति शाखा-दो)

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त उन संशोधनों की सूची जिन पर समिति की 29 जून, 1992 को हुई बैठक में विचार किया गया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। (देखिए कार्यवाही वृत्तांत का पैरा 22)

क्रमांक	सदस्य का नाम और संधोधन का पाठ	खंड संख्या
1	2	3
	श्री एच० हनुमनतप्पा	
1.	पृष्ठ 2, पंकित 1, ''स्तरों'' के पश्चात् ''या ब्लाक अथवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र'' **अंतःस्थापित करें।**	243
	श्री एस० माधवन	
2.	पृष्ठ 2, पंक्ति 5, ''पंचायत'' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है'' **के स्थान पर** ''ग्राम पंचायत'', ''पंचायत समिति'' और ''जिला परिषद'' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छदे 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (प्रत्येक राज्य में उसकी राजभाषा में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है'' **प्रतिस्थापित करें।**	243
	श्री भोगेन्द्र झा	
3.	पृष्ठ 2, पंक्ति 6, ''स्वायत्त शासन'' के पश्चात् ''और लोकतांत्रिक न्यायिक कार्य'' अंतःस्थापित करें।	243
	श्री एच० हनुमनतप्पा	
4.	पृष्ठ 2, पंक्ति 5, ''ग्रामीण क्षेत्रों'' **के स्थान पर** ''ग्राम या ग्रामों'' **प्रतिस्थापित करें**	243
	श्री भोगेन्द्र झा	
5.	पृष्ठ 2, पंक्ति 7, के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए— (घ) न्याय पंचायत (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) से स्वयं पंचायत के भीतर तक संघ अभिप्रेत है''	243
6.	पृष्ठ 2, पंक्ति 8, ''(घ)'' के स्थान पर ''(ड़)'' **प्रतिस्थापित करें**	243

1	2	3
	श्री एच॰ हनुमनतप्पा	
7.	पृष्ठ 2, पंक्ति 9, ''अंत में ''जिसमें 5 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाला/वाले ग्राम शामिल हैं'' जोड़ा जाए	243
	श्री भोगेन्द्र झा	
8.	पृष्ठ 2, पंक्ति 8, 10, ''(ङ)'' के स्थान पर ''(च)'' प्रतिस्थापित किया जाए।	243
9.	पृष्ठ 2, पंक्ति 13, ''(च)'' के स्थान पर ''(छ)'' प्रतिस्थापित करें	243
10.	**श्री एच॰ हनुमनतप्पा** पृष्ठ 2, पंक्ति 13, ''राज्यपाल'' के स्थान पर ''सरकार'' प्रतिस्थापित किया जाए।	243
11.	पृष्ठ 2, पंक्ति 15,— ''विनिर्दिष्ट'' के पश्चात ''पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर'' अंतःस्थापित किया जाए।	243
	श्री एस॰ माधवन और श्री एच॰ हनुमनतप्पा	
12.	पृष्ठ 2, ''खंड 243क'' के स्थान पर ''ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगी जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंध करे'' प्रतिस्थापित किया जाए।	243 क
	श्री भोगेन्द्र झा	
13.	पृष्ठ 2, पंक्ति 22, ''पंचायतो'' के पश्चात ''जिनके अंतर्गत न्याय पंचायतें भी हैं'' प्रतिस्थापित किया जाए।	243 ख
	श्री मणि शंकर अय्यर	
14.	पृष्ठ 2, खंड 243 (ख) के स्थान पर ''243 ख (1) प्रत्येक राज्य मे ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। (2) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी बीस लाख से अनधिक आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकेगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।	243 ख
	श्री एच॰ हनुमनतप्पा	
15.	पृष्ठ 2, पंक्ति 23 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए— ''(2) मध्यवर्ती स्तर पर तथा जिला स्तर पर अर्थात् खंड, पंचायत और जिला परिषद के स्तर पर पंचायतें होंगी।''	243 ख

1	2	3

श्री एस॰ माधवन

16. पृष्ठ 2,
खंड 243ग **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिथापित किया जाए** — 243 ग

''(1) इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगाः

(क) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना;

(ख) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रादेशिक क्षेत्र;

(ग) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का परिसीमन;

(घ) पंचायत समितियों या जिला परिषदों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व;

(ङ) जिला परिषदों में पंचायत समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व;

(च) पंचायत समितियों और जिला परिषदों में संसद सदस्यों और राज्य के विधान मंडलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व;

(छ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का मताधिकार;

(ज) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए निर्वाचन की रीति; और

(झ) ऐसे मामले जिन्हें राज्य का विधानमंडल स्वशासन की संस्थाओं के कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।''

श्री भोगेन्द्र झा

17. पृष्ठ 2 पंक्ति 32,— 243 ग

''पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत सहित पंचायत'' **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्री एच॰ हनुमनतप्पा

18. पृष्ठ 2,— 243 ग

पंक्ति 40 **के पश्चात** निम्नलिखित **जोड़ा जाए**—

''3क सरकार सदस्यों का नाम-निर्देशन कर सकेगी, जिनकी संख्या कुल सदस्यों के 1/5 से अधिक नहीं होगी और जो अनुभवी हों, और प्रतिनिधित्वहीन वर्गों में से हों''।

19. पृष्ठ 2, पंक्ति 44-45,— 243 ग

''या, ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं'', का **लोप किया जाए।**

श्री सुधीर राय

20. पृष्ठ 3,पंक्ति 11 243 ग

''निर्वाचित सदस्य जिसमें विधायक और संसद सदस्य भी शामिल हैं को भी मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए।'' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

21. पृष्ठ 3, 243 ग

पंक्तियां 15-16 के स्थान पर ''सभी स्तरों पर पंचायत का अध्यक्ष पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने मे से चुना जाएगा''। **प्रतिस्थापित किया जाये।**

श्री एच॰ हनुमनतप्पा

22. पृष्ठ 3, पंक्ति 15 243 ग

''या'' और ''यदि'' का **लोप किया जाए।**

1	2	3
23.	पृष्ठ 3, पंक्ति 15 ''कोई'' का लोप किया जाए। **श्री नीतिश कुमार**	243 ग
24.	पृष्ठ 3, पंक्ति 15 ''मध्यवर्ती स्तर'' के पश्चात ''या जिला स्तर पर'' **अन्तःस्थापित किया जाए।**	243 ग
25.	पृष्ठ 3, पंक्ति 17 और 18 **का लोप किया जाए।** **श्री भोगेन्द्र झा**	243 ग
26.	पृष्ठ 3, पंक्ति 17 ''पंचायत'' **के पश्चात** ''या न्याय पंचायत'' **अन्तःस्थापित किया जाए।** **श्री एच० हनुमनतप्पा**	243 ग
27.	पृष्ठ 3, पंकित 17 और 18 **के स्थान पर** ''जिला स्तर पर पंचायत का निर्वाचन खण्ड 243ग के अनुसरण में जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए'' **प्रतिस्थापित किया जाए।**	243 ग
28.	पृष्ठ 3, पंक्ति 9 ''जनजातियों के लिए'' **के पश्चात** ''अलग-अलग'' **अन्तःस्थापित किया जाए।** **श्री भोगेन्द्र झा**	243 घ
29.	पृष्ठ 3, पंक्ति 19 ''प्रत्येक पंचायत'' **के पश्चात** ''और न्याय पंचायत'' **अन्तःस्थापित किया जाए।** **श्री एच० हनुमनतप्पा**	243 घ
30.	पृष्ठ 3, पंक्ति 23 ''अथवा'' **के स्थान पर** ''और'' **प्रतिस्थापित किया जाए।** **श्री भोगेन्द्र झा**	243 घ
31.	पृष्ठ 3, पंक्ति 29 ''प्रत्येक पंचायत'' **के पश्चात** ''और न्याय पंचायत'' **अन्तःस्थापित किया जाए।** **श्री एच० हनुमनतप्पा**	243 घ
32.	पृष्ठ 3, पंक्ति 35 ''स्त्रियों के लिए'' **के पश्चात** ''चक्रानुक्रम से'' **अन्तःस्थापित किया जाए।** **श्री सुधीर राय**	243 घ
33.	पृष्ठ 3, पंक्ति 24-25 ''और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे'' **का लोप किया जाए।**	243 घ
34.	पृष्ठ 3, पंक्ति 28 ''होंगे'' **के स्थान पर** ''किए जा सकेंगे'' **प्रतिस्थापित किया जाए।** **श्री भोगेन्द्र झा**	243 घ
35.	पृष्ठ 3, पंक्ति 34 ''पंचायतों'' **के पश्चात''** ''और न्याय पंचायतों'' **अंतःस्थापित किया जाए।**	243 घ

श्री एस० माधवन

36. पृष्ठ 4, पंक्ति 2 — 243 घ

"पिछड़े" के पश्चात "या अल्पसंख्यक" अंतःस्थापित किया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा

37. पृष्ठ 4, — 243 घ

पंक्ति 4 के पश्चात

"(7) स्थानों के आरक्षण का मुख्य आधार भूमिहीन कृषि श्रमिकों; सीमान्त किसानों; और छोटे किसानों के अनुपात में होगा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इन आर्थिक वर्गों में से किया जाएगा।" जोड़ा जाए।

श्री मणिशंकर अय्यर

38. पृष्ठ 4,— 243 ङ

"पंक्ति 9 के पश्चात निम्निलिखि जोड़ा जाये:—

"(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई संशोधन, किसी भी स्तर पर किसी ऐसी पंचायत को जो ऐसे संशोधन से तत्कालपूर्व कार्यरत है, खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक, विघटित करने के लिए प्रभावी नहीं होगा।"

39. पृष्ठ 4, पंक्ति 10,— 243 ङ

"2" के स्थान पर "3" प्रतिस्थापित करें।

40. पृष्ठ 4, पंकित 17,— 243 ङ

"3" के स्थान पर "4" प्रतिस्थापित करें।

श्री एच० हनुमनतप्पा

41. पृष्ठ 4,— 243 ङ

पंक्ति 17 से 20 का लोप किया जाए।

42. पृष्ठ 4, 243 च

पंक्तियां 41 और 42 के स्थान पर

"तो वह प्रश्न राज्य सरकार द्वारा सृजित सक्षम प्राधिकारी के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री सुधीर राय

43. पृष्ठ 4,— 243 च

खण्ड 243 च के स्थान पर

"18 वर्ष से अधिक का पुरुष या महिला को मत देने के साथ-साथ चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।" प्रतिस्थापित करें।

श्री भोगेन्द्र झा

44. पृष्ठ 4,— 243 च

पंक्ति 38 के पश्चात

"(छ) यदि कोई शहरी क्षेत्र में पर्याप्त सम्पत्ति कारोबारी हित के लिए रखता है या निवास करता है जोड़ा जाए।

45. पृष्ठ 5, पंक्ति 2, 243 छ

"पंचायतों" के पश्चात

"और न्याय पंचायतों" अतःस्थापित करें।

1	2	3
	श्री एस॰ माधवन	
	46. पृष्ठ 5, पंक्ति 11-12,—	243 छ
	"जिनके अन्तर्गत वे कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है" **के स्थान पर** "जो ग्यारहवीं अनुसूची में संबंध विषयों जैसी है" **प्रतिस्थापित करें**	
	श्री भोगेन्द्र झा	
	47. पृष्ठ 5,— पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए:	243 छ
	"(ग) न्याय पंचायतों के मामले में न्याय पंचायतों शक्तियों और उत्तरदायित्वों विवादों और दावों के निपटान और मध्यस्थता के लिए साधन और संसाधनों तथा सम्बन्धित कानूनों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम और दण्ड देने के लिए उपबन्ध किये जायें।	
	श्री एच॰ हनुमनतप्पा	
	48. पृष्ठ 5 पंक्ति 17 "कर सकेगा" **के स्थान पर** "करेगा" **प्रतिस्थापित करें।**	243 ज
	श्री सुधीर राय:	
	49. पृष्ठ 5, पंक्ति 26,— "का राज्य पाल" के के स्थान पर "सरकार" प्रतिस्थापित करें।	243 झ
	श्री एच॰ हनुमनतप्पा	
	50. पृष्ठ 6, पंक्ति 10-12 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें।**	243 ज
	राज्य लेखा विभाग पंचायतों के लेखे तैयार करने और उनके अनुरक्षण की प्रक्रिया तैयार और विनिर्दिष्ट करेगा और राज्य का महालेखाकार पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने की व्यवस्था करेगा।	
	श्री एस॰ माधवन	
	51. पृष्ठ 6, पंक्ति 14 और 15 "राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन" **का लोप किया जाए।**	243 ट
	श्री मणि शंकर अय्यर	
	52. पृष्ठ 6, पंक्ति 14,— "राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर" **के स्थान पर** "राज्य सरकार से परामर्श करके निर्वाचन आयोग द्वारा इस बारे में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर" **प्रतिस्थापित करें।**	243 ट
	श्री सुधीर राय	
	53 पृष्ठ 6, पंक्तियां 36 से 38,— "और पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है।" **का लोप किया जाए।**	

1	2	3
	श्री मणि शंकर अय्यर	
54.	पृष्ठ 7, पंक्तियां 14 से 16 ''या जब तक ऐसे प्रारमभ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता या ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस राज्य में विद्यमान किसी स्तर पर पंचायतों के दीर्घतन कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाए।'' **का लोप किया जाए।**	243 ढ़
	श्री भोगेन्द्र झा	
55.	पृष्ठ 8,— **अन्त में** ''30 न्याय पंचायतों के मामले में दावों और विवादों पर लिए गए निर्णयों सहित उनका निपटान और मध्यस्थता और अपराध की रोकथाम तथा दण्ड देना'' **जोड़ा जाए।**	ग्यारहवीं अनुसूची

तेरह

तेरहवीं बैठक

30-6-1992

समिति की बैठक मंगलवार, 30 जून, 1992 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक कमेटी रूप 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री नाथू राम मिर्धा —**सभापति**

सदस्य

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री भोगेन्द्र झा
4. श्री एम० कृष्ण स्वामी
5. श्री नीतिश कुमार
6. श्री रामेश्वर पाटीदार
7. डा० सुधीर राय
8. श्री पी० एम० सईद
9. प्रो० के० वी० थामस
10. श्री रफीक आलम
11. श्री छोटूभाई पटेल
12. श्री शंकर दयाल सिंह
13. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता —**संयुक्त सचिव**
2. श्री डी० एल० कपूर —**सहायक निदेशक**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्रीं एस० सोम —**अपर सचिव**
2. श्री डी० सिंघाई —**उप सचिव**

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी० एस० सलूजा —**संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**

2. समिति ने पथासंशोधित विधेयक पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार कियां और इसे स्वीकार किया।

4. इसके पश्चात् सभापति ने सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों में से निदेश 87 में उपबंधित विसम्मति कार्यवाही सारांश की ओर आकर्षित किया और घोषणा की कि विसम्मति कार्यवाही सारांश, यदि कोई हो, तो उसे वीरवार 2 जुलाई, 1992 को 10.00 बजे तक लोक सभा सचिवालय को भेजा जा सकता है।

5. समिति ने सभापति महोदय को और उनकी अनुपस्थिति में श्री नीतीश कुमार, सांसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य का विवरण, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992 को सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

6. समिति ने श्री शंकर दयाल सिंह को और उनकी अनुपस्थिति मे श्री छोटूभाई पटेल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य का विवरण, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992 को राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

7. समिति ने विधि, न्याय और कंपनी कार्य (विधायी विभाग) विधायी परामर्शदाता और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

8. समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की उनके उस कड़े परिश्रम और उपयोगी सहायता की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की जिसमें उन्हेंने समिति को सभी मामलों में कार्य को निपटाने में सुविधा प्रदान की और शीघ्रता से उनके प्रारूप प्रतिवेदन को तैयार किया।

9. सभापति महोदय ने उपरोक्त अधिकारियों का धन्यवाद करने में स्वयं को संबद्ध करते हुए समिति के सदस्यों को भी उनके पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जिससे उनके लिए समिति की कार्यवाही को अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाना संभव हुआ।

10. समिति के सदस्यों ने भी सभापति महोदय (श्री नाथू राम मिर्धा) की भूरि-भूरि प्रशंसा की क्योंकि उन्हेंने विधेयक के विभिन्न चरणों मे मार्गदर्शन किया और समिति की कार्यवाही को कुशलता और निष्पक्ष रूप से चलाया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।